भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3094
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

ईवीएम से एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम का क्रियान्वयन

3094. श्री दुरई वाइको :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए अध्ययन/सर्वेक्षण शुरू किया है कि क्या देश में एक राष्ट्र एक चुनाव (ओएनओई) कार्यक्रम को लागू करने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने ओएनओई नीति को लागू करने के लिए खर्च की जाने वाली धनराशि की गणना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने ओएनओई के कार्यान्वयन के मामले में देश भर में कार्मिकों को जुटाने में आने वाली बाधाओं की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : सरकार ने एक साथ निर्वाचनों के संचालन की रीति का परीक्षण करने के लिए श्री राम नाथ कोविंद, भूतपूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया था । समिति ने अपनी परामर्श प्रक्रिया के दौरान भारत के निर्वाचन आयोग से भी परामर्श किया, जिसने बदले में एक साथ निर्वाचनों के संचालन के लिए विभिन्न अपेक्षाओं का ब्यौरा देते हुए अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था । निर्वाचन आयोग का उत्तर एचएलसी रिपोर्ट के उपाबंध-5 के पृष्ठ 3552-3573 पर है, जो इसकी वेबसाइट https://onoe.gov.in/HLC-Report-annexure पर उपलब्ध है ।

****